

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक २१५४ / Aligarh/13881/UP-134/2015, अलीगढ़: दिनांक: जनवरी, १९, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा सं०-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/06/34/2018/एफ०सी०/799 दिनांक 30.12.2022, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 2225/11सी-FP/UP/Approach/13881/2015 दि० 02.01.2023

महोदया,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण कर, निम्न प्रकार कर संशोधित अभिलेख-04 प्रतियों में संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

S.No.	Objection	Reply
1	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशानिर्देशों के पैरा 1.21 (ii) के तहत उल्लंघन स्वरूप जितनी वनभूमि में उल्लंघन हुआ है उसके पांच (5) गुना दण्डात्मक एन०पी०वी० एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशानिर्देशों के पैरा 1.21 (ii) के तहत उल्लंघन स्वरूप जितनी वनभूमि में उल्लंघन हुआ है उसके पांच (5) गुना दण्डात्मक एन०पी०वी० एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा कराये जाने हेतु दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की विस्तृत आख्या प्रेषित की जायेगी।	उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(दिवाकर कुमार विशिष्ट)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक २१५४ / दिनांकित

प्रतिलिपि:- डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सर ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ०प्र) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।